बीसीसी:बीआर:108:456 30.09.2016

<u>भारत में स्थित सभी शाखाओं/कार्यालयों के लिए परिपत्र</u>
<u>एमएसएमई बैंकिंग विभाग द्वारा जारी</u>

प्रिय महोदय,

विषय : बीसीएसबीआई कोड - अत्यंत महत्वपूर्ण और सामान्य नियम और शर्तें

जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बैंक ने भी बीसीएसबीआई कोड अपनाया है जिसमें एमएसई उधारकर्ताओं को भी शामिल किया गया है. बीसीएसबीआई अधिकारियों ने अपने सर्वेक्षण और हमारे बैंक की विभिन्न परिचालन इकाइयों के दौरे के आधार पर हमारे बैंक को "औसत से ऊपर" रेटिंग दी है. रेटिंग के औचित्य का विश्लेषण करते समय, प्रधान कार्यालय स्थित हमारे ग्राहक सेवा विभाग द्वारा पाया गया है कि मानदंड समूह "सूचना प्रसार" और "पारदर्शिता" के तहत कमजोर अनुपालन के कारण यह रेटिंग प्रभावित हुई है. इस प्रयोजन के लिए, अनुपालन के कमजोर क्षेत्रों में से एक है-एमएसई ग्राहकों को संबंधित आवेदन फॉर्म उपलब्ध कराने के साथ-साथ अत्यंत महत्वपूर्ण नियम और शर्तें उपलब्ध और सुनिश्चित कराना.

इस स्कोर में सुधार करने और अपनी शाखाओं को दिशानिर्देशों का अनुपालन करने की सहूलियत उपलब्ध करवाने के लिए हमने सामान्य और महत्वपूर्ण नियम और शर्तें, जो सभी आवेदनों के साथ संलग्न की जा सकती हैं, सूचीबद्ध की हैं. एमएसएमई ग्राहकों के लिए रु. 1.00 करोड़ तक की ऋण सीमा हेतु सामान्य आवेदन हमारे बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है. हम इन सामान्य और महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों को भी हमारे बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने की व्यवस्था कर रहे हैं. शाखाओं को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया जाता है कि जब भी ग्राहकों को एमएसएमई आवेदन जारी किए जाते हैं, सभी के साथ यह सामान्य और महत्वपूर्ण नियम और शर्तें संलग्न हों.

हम आपसे अनुरोध करते हैं कि सभी स्तरों पर अनुपालन के लिए उपर्युक्त दिशानिर्देशों को सावधानीपूर्वक नोट करें.

भवदीय,

(पूर्णिमा राव)
प्रमुख-एमएसएमई संबंध और
सरकारी योजनाएं.

संलग्न: यथोक्त

अत्यंत महत्वपूर्ण और सामान्य नियम और शर्तें
(सभी एमएसएमई आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न की जाएं)

स्टॉक और बही ऋणों का नकदी ऋण दृष्टिबंधक :

- उधारकर्ता द्वारा अगले महीने की 10 तारीख से पहले बैंक के निर्धारित प्रारूप में मासिक स्टॉक और बही-ऋण विवरणी प्रस्तुत की जानी चाहिए.
- उधारकर्ता द्वारा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर, प्रत्येक तिमाही में एक बार, प्रैक्टिसिंग सीए या नियमित लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित बही ऋण विवरणी जिसमें ऋण बही की अवधि और राशि को प्रमाणित किया गया हो, प्रस्तुत की जानी चाहिए.
- भुगतान न किए गए स्टॉक/बदलने पर प्राप्त स्टॉक, क्रेता द्वारा लौटाए गए अस्वीकृत/दोषपूर्ण और अप्रचलित, गैर-बिक्री योग्य और पुराने स्टॉक के पेटे अग्रिम को मंजूरी नहीं दी जाएगी.
- स्वीकृत सीमा के भीतर स्टॉक और बही ऋण के अग्रिम मूल्य के अनुरूप आहरण की अनुमति दी जाएगी .
- सहयोगी संस्थानों को बिक्री से उत्पन्न बही-ऋण को वित्तपोषित नहीं किया जाएगा .

संपत्तियों के बंधक के मामले में:

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि संपत्ति का टाइटल क्लीयर, विपणन योग्य और ऋण भार रहित तथा वैध है एवं प्रभावी बंधक सृजित किया जा सकता है, बैंक के अनुमोदित अधिवक्ता से टाइटल क्लीयरेंस प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए. अपेक्षित प्रभारों का वहन उधारकर्ताओं द्वारा किया जाएगा.
- प्रतिभूति के रूप में ऑफर की जाने वाली संपत्ति को बैंक के सूचीबद्ध मूल्यांकनकर्ता द्वारा मूल्यांकित किया जाना चाहिए और प्रभारों का वहन उधारकर्ताओं द्वारा किया जाएगा.
- सूचीबद्ध मूल्यांकनकर्ता द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष में संपार्श्विक प्रतिभूतियों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए .

मीयादी ऋण के मामले में:

- वित्तपोषित वस्तुओं के लिए भुगतान सीधे आपूर्तिकर्ताओं को किया जाएगा. उधारकर्ता द्वारा बैंक के रिकॉर्ड के लिए सभी बिल, चालान और रसीदें प्रस्तुत की जानी चाहिए.
- किसी भी अतिरिक्त लागत, यदि है, का वहन उधारकर्ता द्वारा किया जाएगा.

अन्य सामान्य नियम और शर्तें:

- उधारकर्ता के व्यावसायिक परिसर / इकाई में बैंक की नेम प्लेट को प्रदर्शित किया जाना चाहिए .
- बैंक को अधिकार होगा कि वह समय-समय पर बैंक के अधिकारियों/तकनीकी विशेषज्ञों/बाहरी एजेंसियों/सीए फर्मों/प्रबंधन सलाहकारों और/या मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा खाता बही की जांच करवाए और बैंक को प्रभारित की गईं उधारकर्ता की संपत्तियों का निरीक्षण या मूल्यांकन करे. निरीक्षण/मूल्यांकन प्रभारों का वहन उधारकर्ता द्वारा किया जाएगा.
- उधारकर्ता द्वारा 'बैंक क्लॉज' के साथ सभी वित्तपोषित संपत्तियों और प्रतिभूतियों की व्यापक बीमा पॉलिसी ली जानी चाहिए.
- उधारकर्ता द्वारा समय-समय पर विभिन्न सरकारी विभागों से विभिन्न लाइसेंस/अनुमति/मंजूरी आदि प्राप्त/नवीकृत की जानी चाहिए और उसकी प्रति बैंक को देनी चाहिए.
- ब्याज दर समय-समय पर जारी आधार दर/एमसीएलआर/खाते की क्रेडिट रेटिंग/बैंक के प्रशासनिक दिशानिर्देश/ भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों में परिवर्तन के अधीन है.
- निम्नलिखित अनियमितताओं के लिए बैंक के मानदंडों के अनुसार 1.00% - 2.00% की दर से दंड ब्याज लगाया जाएगा:

- किस्त और/या ब्याज का गैर/विलंब से भुगतान और/या सीमा से आधिक्य.
- मासिक स्टॉक और बही ऋण विवरणी और / या त्रैमासिक प्रमाणित बही-ऋण विवरणी प्रस्तुत न करना/ विलंब से प्रस्तुत करना.
- सुविधाओं के नवीकरण के लिए प्रावधानिक/लेखा परीक्षित वित्तीय स्थिति, सीएमए, आईटी रिटर्न आदि प्रस्तुत न करना/विलंब से प्रस्तुत करना.
- क्यूआईएस/क्यूएमआर विवरणी प्रस्तुत न करना/विलंब से प्रस्तुत करना.
- इनवोक गारंटी/डिवॉल्ड्ड एलसी का भुगतान न करना/विलंब से करना.
- मंजूरी के किसी भी प्रमुख नियम और शर्त के किसी भी उल्लंघन/गैर-अनुपालन की घटना (बैंक के विवेक पर).
- उधारकर्ता द्वारा किए गए किसी भी वित्तीय करार का गैर अनुपालन .

- ऋण या ब्याज की चुकौती में किसी भी चूक के मामले में, बैंक और/या भारतीय रिज़र्व बैंक के पास चूककर्ता के रूप में उधारकर्ता/गारंटीकर्ता का नाम उस प्रकार और उस माध्यम से प्रकट करने या प्रकाशित करने का अनक्वेलिफाइड अधिकार होगा जैसा भी बैंक या भारतीय रिज़र्व बैंक अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे .
- बैंक को प्रस्तुत आवेदन/परियोजना रिपोर्ट में निर्धारित उद्देश्य के लिए ही बैंक द्वारा दी गई या दी जाने वाली सारी अग्रिम राशि का उपयोग किया जाना चाहिए. यदि अग्रिम का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है या करने का प्रयास किया जाता है या यदि बैंक को लगता है या उसके पास यह मानने के कारण हैं कि उक्त ऋण का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, तो बैंक को संपूर्ण ऋण/अग्रिम या उसके किसी अंश को कोई भी कारण बताए बिना तत्काल रिकॉल करने का अधिकार होगा.

- उधारकर्ता द्वारा सारी बैंकिंग लेनदेन हमारे बैंक के माध्यम से ही रूट की जानी चाहिए. उधारकर्ता द्वारा हमारी पूर्व सहमति के बिना किसी अन्य बैंक / संस्थान से ऋण सुविधाओं का लाभ नहीं लिया जाना चाहिए.
- बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित या भुगतान किए गए प्रसंस्करण और दस्तावेज़ीकरण प्रभार, निरीक्षण प्रभार, कानूनी सत्यापन प्रभार, संपत्ति मूल्यांकन प्रभार, टीईवी अध्ययन प्रभार/टीईवी रियायत प्रभार (जो भी लागू हो) का वहन उधारकर्ता द्वारा किया जाएगा.
- उधारकर्ता द्वारा वित्तीय अनुशासन बनाए रखा जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि चेक जारी करने से पहले खाते में पर्याप्त राशि उपलब्ध हो. चेकों के अनादरण की स्थिति में बैंक के पास स्वीकृत ऋण सुविधाओं को समाप्त करने का अधिकार होगा.